माननीय न्यायमूर्ति राजीव नारायण रैना के समक्ष

प्राचार्या, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कलानौर (रोहतक)
-याचिकाकर्ता

बनाम

सावित्री देवी और अन्य

-उत्तरदाता

2012 का सीडब्ल्यूपी नंबर 17425

30 अक्टूबर, 2015

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14 और 226-श्रम न्यायालय के अवॉर्ड में रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप का दायरा सीमित है-यदि 50% पिछले वेतन के साथ बहाली के अवॉर्ड में रिकॉर्ड या क्षेत्राधिकार के चेहरे पर कोई मौलिक दोष या त्रुटि दिखाई नहीं देती है, जो अन्यथा श्रम न्यायालय में निहित अधिकार क्षेत्र का न्यायसंगत व उचित प्रयोग है, और रिकॉर्ड पर साक्ष्य और सामग्री की सराहना करने के बाद निष्कर्ष निकाले गए और उसमें कोई कमजोरी नहीं देखी गई, इस स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

यह निर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता-स्कूल की ओर से उपस्थित हरियाणा के विद्वान सहायक महाधिवक्ता श्री गोयल द्वारा रिकॉर्ड या अधिकार क्षेत्र में स्पष्ट रूप से कोई मौलिक दोष या त्रुटि नहीं बताई गई है। श्रम न्यायालय, रोहतक ने सेवा की निरंतरता और 50% बकाया वेतन के साथ बहाली का आदेश दिया है, जो श्रम न्यायालय में निहित क्षेत्राधिकार का न्यायसंगत और उचित प्रयोग है। रिकॉर्ड पर साक्ष्य और सामग्री की सराहना करने के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं और फ़ाइल पर दस्तावेजों को पढ़ने से उत्पन्न उन निष्कर्षों अनदेखी जैसी कोई दुर्बलता मौजूद नहीं देखी गई है। न्यायाधिकरणों के अवॉर्ड की जांच करते समय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 द्वारा प्रदान किए गए पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के तहत हस्तक्षेप का दायरा पूर्ण या अपीलीय नहीं है, बल्कि इसमें शामिल सिद्धांतों तक सीमित है जो **सत्यनारायण लक्ष्मीनारायण हेगड़े बनाम मल्लिकार्जुन भवनप्पा तिरुमले,** एआईआर 1960 एससी 137: (1960) 1 एससीआर 890 में इंगित किए गए हैं।बॉम्बे रेवेन्यू ट्रिब्यूनल से उत्पन्न एक मामले में और माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित ,बटुक के. व्यास बनाम सूरत म्यूनिसिपैलिटी मामलें में माननीय मुख्य न्यायधीश चाग़ला की टिप्पणियों पर निर्भरता रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश को लागू किया।

(पैरा 2)

इसके अलावा यह निर्धारित किया गया कि, परिणाम में रिट याचिका विफल की जाती है और खारिज कर दी जाती है क्योंकि इसमें कोई योग्यता नहीं पाई गयी है जो बाध्यकारी उदाहरणों में उल्लिखित सिद्धांतों पर हस्तक्षेप की गारंटी देती है, क्योंकि विवादित अवॉर्ड किसी भी दोष से ग्रस्त नहीं है जो इसे खराब कर सकता है। आईडी अधिनियम की धारा 17-बी के संबंध में अंतरिम आदेश निरस्त हो जाएगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में कानून के उल्लंघन के कारण हुई अवैध और शून्य समाप्ति की तिथि पर याचिकाकर्ता अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएगी। अब बहाली आदि का निर्णय बिना किसी देरी के लागू किया जाए और अवलोकन के लिए दो महीने के भीतर अनुपालन रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाए।

(पैरा 5)

गौरव गोयल, एएजी, हरियाणा,याचिककर्ता की ओर से

संदीप सिंगल,अधिवक्ता,उत्तरदाता न. 1 की ओर से

राजीव नारायण रैना, जे. (मौखिक)

1. पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना गया।

2. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित श्री गोयल, सहायक महाधिवक्ता, हरियाणा द्वारा रिकॉर्ड या क्षेत्राधिकार में कोई भी मूलभूत दोष या त्रुटि नही दर्शायी गयी है। श्रम न्यायालय, रोहतक ने सेवा की निरंतरता और 50% बकाया वेतन के साथ बहाली का फैसला सुनाया है, जो श्रम न्यायालय में निहित अधिकार क्षेत्र का न्यायसंगत और उचित प्रयोग है। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों और सामग्री की सराहना करने के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं और फ़ाइल पर पाठ या दस्तावेज़ों को पढ़ने की से उत्पन्न उन निष्कर्षों में अनदेखी जैसी कोई दुर्बलता मौजूद नहीं देखी गई है।न्यायाधिकरणों के अवॉर्ड की जांच करते समय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 द्वारा प्रदान किए गए पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के तहत हस्तक्षेप का दायरा पूर्ण या अपीलीय नहीं है, बल्कि इसमें शामिल सिद्धांतों तक सीमित है जो **सत्यनारायण लक्ष्मीनारायण हेगड़े बनाम मल्लिकार्जुन भवनप्पा तिरुमले**[1] एआईआर 1960 एससी 137: (1960) 1 एससीआर 890 में इंगित किए गए हैं।बॉम्बे रेवेन्यू ट्रिब्यूनल से उत्पन्न एक मामले में और माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित ,**बटुक के. व्यास बनाम सूरत म्यूनिसिपैलिटी**[2] मामलें में माननीय मुख्य न्यायधीश चाग़ला की टिप्पणियों पर निर्भरता रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश को लागू किया और निम्नानुसार निर्धारित किया:

"6. सर्टिओरीरी रिट याचिका के चरित्र और दायरे को इस न्यायालय ने अपने फैसले **हरि विष्णु कामथ बनाम सैयद अहमद इशाक एआईआर 1960 एससी 137=(1960) 1 एससीआर 890** में विस्तार से निपटाया है। इस न्यायालय के कुछ पहले के फैसलों का जिक्र करने के बाद इस न्यायालय ने पृष्ठ 1121 पर टिप्पणी की:-

"इन प्राधिकरणों पर, निम्नलिखित प्रस्तावों को स्थापित माना जा सकता है: (1) क्षेत्राधिकार की त्रुटियों को ठीक करने के

---

[1]एआईआर 1960 एससी 137: (1960) 1 एससीआर 890

[2] एआइआर 1933 बॉम्बे 133

लिए सर्टिओरारी जारी की जाएगी, जब भी कोई अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण क्षेत्राधिकार के बिना या उससे अधिक कार्य करता है, या क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफल रहता है।

(2) सर्टिओरारी याचिका तब भी जारी की जाएगी जब न्यायालय या न्यायाधिकरण अपने निस्संदेह क्षेत्राधिकार के प्रयोग में अवैध रूप से कार्य करता है, जैसे कि जब वह पक्षों को सुनवाई का अवसर दिए बिना निर्णय लेता है या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

(3) न्यायालय पर्यवेक्षी और अपीलीय क्षेत्राधिकार के अभ्यास में सर्टिओरीरी कृत्यों की एक रिट जारी करता है। इसका एक परिणाम यह है कि अदालत निचली अदालत या ट्रिब्यूनल द्वारा पहुंचे तथ्य के निष्कर्षों की समीक्षा नहीं करेगी, भले ही वे गलत हों। यह इस सिद्धांत पर है कि एक न्यायालय जिसके पास किसी विषय-वस्तु पर अधिकार क्षेत्र है, उसे गलत के साथ-साथ सही निर्णय लेने का भी अधिकार है, और जब विधानमंडल उस निर्णय के खिलाफ अपील का अधिकार प्रदान नहीं करता है, तो यह उसके उद्देश्य और नीति को विफल कर देगा, यदि कोई वरिष्ठ न्यायालय को साक्ष्यों के आधार पर मामले की दोबारा सुनवाई करनी थी, और अपने स्वयं के निष्कर्षों को सर्टिओरारी में प्रतिस्थापित करना था। ये प्रस्ताव अच्छी तरह से तय हैं और विवाद में नहीं हैं।"

7. उपरोक्त तीन प्रस्तावों के अलावा, एक चौथे प्रस्ताव, जिस पर कुछ विवाद प्रतीत होता है, पर भी चर्चा की गई, अर्थात्, क्या अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण का निर्णय ग़लत होने पर सर्टिओरीरी जारी किया जा सकता है।कुछ रिपोर्ट किए गए निर्णयों, अंग्रेजी और साथ ही भारतीय, का उल्लेख करने के बाद, इस न्यायालय द्वारा पृष्ठ 1123 पर स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया था जो इस प्रकार है:

"इसलिए यह तय माना जा सकता है कि कानून की किसी त्रुटि को सुधारने के लिए सर्टिओरीरी रिट जारी की जा सकती है। लेकिन यह आवश्यक है कि यह महज एक त्रुटि से अधिक कुछ हो; यह ऐसा होना चाहिए जो रिकोर्ड में सामने प्रकट होना चाहिए। हालाँकि, इस मामले के संदर्भ में वास्तविक कठिनाई सिद्धांत के कथन में उतनी नहीं है जितनी किसी विशेष मामले के तथ्यों पर इसके अनुप्रयोग में है। कब कोई त्रुटि मात्र त्रुटि नहीं रह जाती है, और एक स्पष्ट त्रुटि बन जाती है रिकार्ड के अनुसार? दोनों पक्षों के विद्वान वकील किसी भी स्पष्ट नियम का सुझाव देने में असमर्थ थे जिसके द्वारा त्रुटियों के दो वर्गों के बीच की सीमा का सीमांकन किया जा सके। पहले प्रतिवादी के लिए श्री पाठक ने बटुक के. व्यास बनाम सूरत नगर पालिका एआईआर 1933 बीओएम 133 में चागला, माननीय सी.जे. की कुछ टिप्पणियों के आधार पर तर्क दिया कि रिकॉर्ड के सामने कोई भी त्रुटि स्पष्ट नहीं कही जा सकती यदि वह स्वयं स्पष्ट नहीं है और यदि इसे स्थापित करने के लिए किसी परीक्षण या तर्क की आवश्यकता है। यह परीक्षण अधिकांश मामलों में निर्णय के लिए संतोषजनक आधार प्रदान कर सकता है। लेकिन ऐसे मामले अवश्य होंगे जिनमें यह परीक्षण भी विफल हो सकता है, क्योंकि न्यायिक राय भी भिन्न होती है, और एक त्रुटि जिसे एक न्यायाधीश स्वयं-स्पष्ट मान सकता है, दूसरे द्वारा उस पर विचार नहीं किया जा सकता है। तथ्य यह है कि रिकॉर्ड पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली त्रुटि को सटीक या विस्तृत रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता है, इसकी प्रकृति में अनिश्चितता का

एक तत्व मौजूद है, और इसे प्रत्येक मामले के तथ्यों पर न्यायिक रूप से निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। ।”

[महत्व जोड़ें]

3. हस्तक्षेप के सिद्धांतों को **सैयद याकूब बनाम के.एस रधकृषणन**[3] मामले में संविधान पीठ प्राधिकरण में आगे समझाया गया था। राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित एक आदेश से उत्पन्न, न्यायाधिकरणों के काम में उच्च न्यायालयों के प्रमाणित क्षेत्राधिकार में शामिल सिद्धांतों को परिष्कृत करते हुए,माननीय गजेंद्रगडकर ने कहा:-

“ निचली अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा की गई क्षेत्राधिकार की त्रुटियों को ठीक करने के लिए सर्टिओरीरी की रिट जारी की जा सकती है; ये ऐसे मामले हैं जहां अवर न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा बिना अधिकार क्षेत्र के, या उससे अधिक, या क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफलता के परिणामस्वरूप आदेश पारित किए जाते हैं। इसी तरह एक रिट भी जारी की जा सकती है, जहां अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, न्यायालय या न्यायाधिकरण अवैध या अनुचित तरीके से कार्य करता है, उदाहरण के लिए, यह आदेश से प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी प्रश्न का निर्णय करता है, या जहां विवाद से निपटने में अपनाई गई प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। हालाँकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सर्टिओरीरी रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार एक पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार है और इसका प्रयोग करने वाला न्यायालय अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करने का हकदार नहीं है। इस सीमा का आवश्यक अर्थ यह है कि सबूतों की सराहना के परिणामस्वरूप निचले न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा प्राप्त तथ्य के निष्कर्षों को रिट कार्यवाही में दोबारा नहीं खोला या पूछताछ नहीं की जा सकती है। कानून की त्रुटि, जो रिकॉर्ड पर स्पष्ट है, को रिट द्वारा ठीक किया जा सकता है, लेकिन तथ्य की त्रुटि नहीं, चाहे वह कितनी भी गंभीर क्यों न हो। ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष के संबंध में सर्टिओरीरी की एक रिट जारी की जा सकती है यदि यह दिखाया गया है कि उक्त निष्कर्ष को रिकॉर्ड करने में ट्रिब्यूनल ने गलती से स्वीकार्य और भौतिक साक्ष्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, या गलती से अस्वीकार्य साक्ष्य को स्वीकार कर लिया था जिसने विवादित निष्कर्ष को प्रभावित किया। इसी प्रकार, यदि कोई तथ्य का निष्कर्ष बिना किसी सबूत के आधारित है, तो इसे कानून की त्रुटि माना जाएगा जिसे सर्टिओरीरी की रिट द्वारा ठीक किया जा सकता है। हालाँकि, इस श्रेणी के मामलों से निपटने में, हमें हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष को सर्टिओरीरी रिट की कार्यवाही में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश किए गए प्रासंगिक और भौतिक साक्ष्य ' विवादित निष्कर्ष को कायम रखने के लिए अपर्याप्त है। किसी बिंदु पर साक्ष्य की पर्याप्तता और उक्त निष्कर्ष से निकाले जाने वाले तथ्य का अनुमान ट्रिब्यूनल के विशेष क्षेत्राधिकार के भीतर है, और उक्त बिंदुओं को रिट अदालत के समक्ष नहीं उठाया जा सकता है। इन सीमाओं के भीतर ही अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र प्रदान किया जाता है जो सर्टिओरारी रिट जारी करने के लिए वैध रूप से प्रयोग किया जा सकता है"

[3] एआइआर 1964 एससी 477

4. कला में हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करने वाले उपरोक्त बाध्यकारी उदाहरणों में जमीनी कार्य को स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 226 में समझाया गया है। श्री गोयल ने अदालत में उपस्थित याचिकाकर्ता, एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के निर्देश पर निष्पक्ष रूप से कहा कि जल वाहक के पद पर एक सोमा देवी का कब्जा था, जो एक नियमित सहायक थी और सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने पर नवंबर, 2014 में सेवा से सेवानिवृत्त हो गए, जिससे अवॉर्ड संतुष्ट होना बहुत आसान हो गया क्योंकि स्कूल में काम उपलब्ध है और आवश्यक है और रिक्ति अभी तक नहीं भरी गई है।

5. परिणाम में रिट विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है क्योंकि इसमें कोई योग्यता नहीं पाई गयी जो बाध्यकारी उदाहरणों में उल्लिखित सिद्धांतों पर हस्तक्षेप की गारंटी देती है क्योंकि विवादित पुरस्कार में कोई भी दोष नहीं है जो इसे खराब कर सकता है। आईडी अधिनियम की धारा 17-बी के संबंध में अंतरिम आदेश निरस्त कर दिया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में कानून के उल्लंघन के कारण हुई अवैध और शून्य समाप्ति की तिथि पर याचिकाकर्ता अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएगी। अब बहाली आदि का निर्णय बिना किसी देरी के लागू किया जाए व इस न्यायालय के अवलोकन के लिए दो महीने के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

बेनिका

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

हरियाणा